सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा सं – 7-एनटी/(72)/2014 दि.13.10.2014

वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या – 19

विषय – वायरस चेतावनी - इबोला – संबंधी ।

1. ऐसा जाना जाता है कि हाल ही में दिसंबर 2013 में गीनिया में इबोला वायरस की बीमारी (ईवीडी) सामने आई है अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के अनुसरण में अन्तर राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (पीएचईआईसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने दिनांक 8 अगस्त, 2014 पश्चिम अफ्रीका में ईवीडी फैलने की घोषणा की ।

2. ईवीडी संक्रामक है, इसलिये एक से दूसरे स्थान पर आने-जाने वाले लोगों में इससे संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक है और इससे वायरस एक से दूसरे स्थान पर फैल सकता है, तदनुसार, अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ) ने दिनांक 2 सितंबर,2014 का परिपत्र पत्र संख्या 3484 जारी किया है ताकि इबोला वायरस की बीमारी (ईवीडी) से समुद्रकर्मियों, यात्रियों और अन्य पोतस्थ लोगों को होने वाले जोखिम को कम से कम करने के लिये सावधानियां बरते जाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर, सूचना दी जा सके और मार्गदर्शन किया जा सके । अनुलग्नक सहित उच्च आईएमओ परिपत्र की प्रति एतद्द्वारा संलग्न है ताकि ईवीडी के बारे में जागरूकता लाई जा सके और इस बारे में समुद्रीय जगत को सावधान किया जा सके ।

3. इनसा/फोसमा/मासा सहित सभी संबंधितों तथा समुद्रकर्मी यूनियनों को सलाह है कि वे दिनांक 02.08.2014 के आईएमओं परिपत्र का मनोयोग से पालन करें ताकि समुद्रीय समुदाय का व्यापक रूप से ज्यादा लाभ हो सके ।

4. इसी तरह से, इस निदेशालय के अनुमोदित चिकित्सा परीक्षकों को सलाह है कि वे यह सुनिश्चित करे कि इस वापोप सूचना को अपने क्लीनिकों में इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि यह सबको अनायास दिखाई दे जिससे ईवीडी पर जागरूकता लाई जा सके ।

5. इसे सभी संबंधितों एवं विशेष रूप में समुद्र कर्मियों के लिये सूचनार्थ जारी किया जाता है ताकि ईवीडी के बारे में जागरूक हो सके ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(कप्तान के पी जयाकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार

<u>संलग्न :</u> अनुलग्नक (6 पृष्ठ) सहित दिनांक 2 सितंबर, 2014 को आईएमओ परिपत्र पत्र संख्या 3484 ।